

मांग संख्या 54
मुख्य शीर्ष 2415

मद क्रमांक 1

ग्राम हथनी, जिला बिलासपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4415

मद क्रमांक 2

1. ग्राम हथनी, जिला बिलासपुर में उद्यानिकी महाविद्यालय एवं छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु ₹100 प्रतीक का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है, यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा। (कुल संभावित लागत लगभग 15 करोड़ रुपये)

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2. नवीन उद्यानिकी विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों एवं छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य हेतु ₹1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय इस वर्ष संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु कुल ₹10,00,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना के संचालन के हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर 01 पद के मान से कुल 33 जिला मुख्यालय में 33 संविदा पदों के सृजन शामिल किया गया है। इस हेतु राशि ₹ 50.00 लाख संभावित व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	प्रतिमाह निर्धारित संविदा वेतन	पद संख्या
1	पुनर्वास-सह-स्थापन अधिकारी	27804/-रूपये	33

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के बढ़े हुए मानदेय हेतु ₹ 6000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 4

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि का क्रय हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 योजना के संचालन हेतु ₹ 1053.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 10,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

मिशन वात्सल्य अंतर्गत गैर संस्थागत देखभाल हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

मिशन वात्सल्य अंतर्गत स्वच्छता कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत सहायता राशि के भुगतान हेतु ₹ 1746.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 17,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत पोषण अभियान योजना क्रियान्वयन हेतु 299 संविदा पदों के सृजन शामिल किया गया है। इस हेतु राशि ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

राज्य स्तरीय (एसपीएमयू) पद			
क्र.	पदनाम	प्रतिमाह निर्धारित वेतन	संविदा पदों की संख्या
1.	राज्य परियोजना संचालक (पदेन संचालक महिला एवं बाल विकास)	-	01
2.	संयुक्त परियोजना समन्वयक (प्रतिनियुक्ति पर)	-	03
3.	तकनीकी सलाहकार	60,000/-	03
4.	परियोजना सहायक	25,000/-	01
5.	लेखापाल	30,000/-	01
6.	कार्यालयीन सहायक	15,000/-	02
7.	भृत्य	8,000/-	02
योग			13
जिला स्तरीय पद			
1.	जिला समन्वयक	30,000/-	33
2.	परियोजना सहायक	18,000/-	33
योग			66
विकासखण्ड स्तरीय पद			
1.	विकासखण्ड समन्वयक	20,000/-	220
योग			220
महायोग			299

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

मिशन वात्सल्य अंतर्गत गैर संस्थागत देखभाल हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

मिशन वात्सल्य अंतर्गत स्वच्छता कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि हेतु ₹60.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

महतारी सम्मान योजना अंतर्गत सम्मान राशि दिए जाने हेतु ₹ 4000.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

शुचिता योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्सी, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 15

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आवश्यक फर्नीचर, ईसीसीई सामग्री, बर्तन, दर्री, टाटपट्टी, वजन मशीन इत्यादि क्रय हेतु ₹ 1200.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 16

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के लिए नये वाहन क्रय हेतु ₹58.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण कार्य अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु ₹132.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 1,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18

आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं पेयजल सुविधा कार्य हेतु ₹1770.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 17,70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 19

मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20

आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण कार्य अंतर्गत लघु निर्माण कार्य निर्माण हेतु ₹341.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 3,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 21

आंगनबाड़ी भवन निर्माण एवं पेयजल सुविधा कार्य हेतु ₹1130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। अतः प्रयोजन हेतु ₹ 11,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 22

मिशन वात्सल्य अंतर्गत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 23

आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 15वें वित्त आयोग से अंशदान हेतु ₹ 3900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः प्रयोजन हेतु ₹ 39,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।